



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042026-271542
CG-DL-E-02042026-271542

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1620]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2026/चैत्र 11, 1948

No. 1620]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2026/CHAITRA 11, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2026

सं .02/2026-27

का.आ. 1685(अ).— विषय: आइटीसी) एचएस(, 2022, अनुसूची-I) आयात नीति (के अध्याय 71 के अंतर्गत सीटीएच 7113 में शामिल मदों की आयात नीति में संशोधन के संबंध में।

सा.आ(अ): समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 71 में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है:

2. निम्नलिखित आइटीसी एचएस कोड की आयात नीति को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

आइटीसी (एचएस) कोड	मद विवरण	मौजूदा आयात नीति	संशोधित आयात नीति	मौजूदा आयात नीतिगत शर्तें	संशोधित आयात नीतिगत शर्तें
7113	कीमती धातु या कीमती धातु से जड़े हुए आभूषण और उसके हिस्से।				
711311	कीमती धातु का बना हुआ, चाहे उस पर कीमती धातु चढ़ी हो या नहीं : -- चांदी का बना हुआ, चाहे उस पर अन्य कीमती धातु चढ़ी हो या नहीं				
71131110	--महीन काम वाले आभूषण	मुक्त	प्रतिबंधित	-	
71131141	--- अन्य आभूषण : ---- बिना जड़ाऊ	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित	-	
71131142	--अन्य आभूषण-- : -मोतियों से जड़ित	मुक्त	प्रतिबंधित	-	
71131143	---अन्य आभूषण : ---- शीर्ष 7102 के हीरे जड़े हुए	मुक्त	प्रतिबंधित	-	
71131144	---अन्य आभूषण ---- : शीर्ष 7104 के हीरे जड़े हुए	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित	-	
71131145	---अन्य आभूषण---- : अन्य कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों से जड़े हुए	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित	-	
71131149	---अन्य आभूषण---- : अन्य अन्य आभूषण : -- --अन्य	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित	-	
71131190	---भाग	मुक्त	प्रतिबंधित	-	
711319	- बहुमूल्य धातु का, चाहे उस पर बहुमूल्य धातु की परत चढ़ी हो या नहीं : -- अन्य बहुमूल्य धातु का, चाहे उस पर बहुमूल्य धातु की परत चढ़ी हो या नहीं				
71131911	-- सोने का: ---- बिना जड़ाऊ	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित	तथापि ,एक वैध इंडिया-यूएई सीईपीए टीआरक्यू के तहत बिना किसी आयात लाइसेंस के आसानी से आयात अनुमत होगा।	तथापि ,एक वैध इंडिया-यूएई सीईपीए टीआरक्यू के तहत बिना किसी आयात लाइसेंस के आयात अनुमत होगा।
71131912	--- सोने का: ----मोतियों से जड़ा हुआ	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित	तथापि ,एक वैध इंडिया-यूएई सीईपीए टीआरक्यू के तहत बिना किसी आयात लाइसेंस के आयात अनुमत होगा।	तथापि ,एक वैध इंडिया-यूएई सीईपीए टीआरक्यू के तहत बिना किसी आयात लाइसेंस के आयात अनुमत होगा।

71131913	--सोने का: ----शीर्ष 7102 के हीरे जड़े हुए	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित	तथापि ,एक वैध इंडिया-यूएई सीईपीए टीआरक्यू के तहत बिना किसी आयात लाइसेंस के आयात अनुमत होगा।	तथापि ,एक वैध इंडिया- यूएई सीईपीए टीआरक्यू के तहत बिना किसी आयात लाइसेंस के आयात अनुमत होगा।
71131914	--- सोने का: ----शीर्ष 7104 के हीरे जड़े हुए	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित	तथापि ,एक वैध इंडिया-यूएई सीईपीए टीआरक्यू के तहत बिना किसी आयात लाइसेंस के आयात अनुमत होगा।	तथापि ,एक वैध इंडिया- यूएई सीईपीए टीआरक्यू के तहत बिना किसी आयात लाइसेंस के आयात अनुमत होगा।
71131915	--- सोने का :----अन्य कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित	तथापि ,एक वैध इंडिया-यूएई सीईपीए टीआरक्यू के तहत बिना किसी आयात लाइसेंस के आयात अनुमत होगा।	तथापि ,एक वैध इंडिया- यूएई सीईपीए टीआरक्यू के तहत बिना किसी आयात लाइसेंस के आयात अनुमत होगा।
71131919	--- सोने का :----अन्य	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित	-	-
71131921	--- प्लैटिनम का :---- बिना जड़ा हुआ	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित	-	-
71131922	--- प्लैटिनम का :---- मोतियों से जड़ा हुआ	मुक्त	प्रतिबंधित	-	-
71131923	--- प्लैटिनम का :---- शीर्ष 7102 के हीरे से जड़ा हुआ	मुक्त	प्रतिबंधित	-	-
71131924	--- प्लैटिनम का :---- शीर्ष 7104 के हीरे से जड़ा हुआ	मुक्त	प्रतिबंधित	-	-
71131925	--- प्लैटिनम का :----अन्य कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ	मुक्त	प्रतिबंधित	-	-
71131929	-- प्लैटिनम का :----अन्य	मुक्त	प्रतिबंधित	-	-
71131960	--- भाग	प्रतिबंधित	प्रतिबंधित	-	-
71131990	--- अन्य	मुक्त	प्रतिबंधित	-	-
71132000	- कीमती धातु से जड़ी हुई मूल धातु	मुक्त	प्रतिबंधित	-	-

2. विदेश व्यापार नीति, 2023 (एफटीपी (के पैरा 1.05(ख (या किसी अन्य प्रावधान में निहित होने के बावजूद, संक्रमणकालीन व्यवस्था का लाभ इस अधिसूचना के तहत लगाए गए प्रतिबंधों पर लागू नहीं होगा।

3. उक्त संशोधित आयात नीति तत्काल प्रभाव से और किसी भी पूर्व अनुबंध, अपरिवर्तनीय साख पत्र, अग्रिम भुगतान या शिपमेंट स्थिति के होते हुए भी लागू होगी।

4. तथापि, 100% निर्यातोन्मुख इकाइयों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों) एसईजेड (में स्थित इकाइयों द्वारा किए गए आयात क्रमशः एफटीपी, 2023 के पैरा 6.01(घ (के अनुसार और विशेष आर्थिक क्षेत्र) एसईजेड (नियम, 2006 के नियम 27 के तहत उपर्युक्त प्रतिबंधों के अधीन नहीं होंगे, बशर्ते कि ऐसे आयातित माल घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र) डीटीए (में न बेचे जाएं। इसके अतिरिक्त, एफटीपी, 2023 के अध्याय-4 के तहत रत्न और आभूषण के निर्यात की स्कीमों के तहत किए गए आयात भी इन प्रतिबंधों से मुक्त होंगे।

अधिसूचना का प्रभाव : सीटीएच 7113 के तहत मदों की आयात नीति को तत्काल प्रभाव से" मुक्त "से संशोधित कर "प्रतिबंधित" किया गया है। ये प्रतिबंध एफटीपी 2023 के पैरा 1.05 (ख (के होते हुए भी लागू होंगे और किसी भी पूर्व अनुबंध, अपरिवर्तनीय साख पत्र, अग्रिम भुगतान, शिपमेंट स्थिति या किसी अन्य प्रतिबद्धता के होते हुए भी लागू होंगे। तदनुसार, संक्रमणकालीन व्यवस्था का लाभ उपलब्ध नहीं होगा। तथापि, अधिसूचना के पैरा 4 में उल्लिखित आयातों की श्रेणियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/36/एएम-11/पीसी-2 (ए)/ई-1678]

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2026

No. 02 /2026-27

Subject: Amendment in Import Policy of items covered under CTH 7113 under Chapter 71 of ITC (HS) 2022, Schedule-I (Import Policy)-reg.

S.O. 1685(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendments under Chapter 71 of ITC (HS) 2022, Schedule –I (Import Policy) with immediate effect:

2. The Import Policy of the following ITC (HS) codes is amended as under:

ITC(HS) Code	Item description	Existing Import Policy	Revised Import Policy	Existing Import Policy Condition	Revised Import Policy Condition
7113	Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal.				
711311	-Of precious metal whether or not plated or clad with precious metal: -- Of silver, whether or not plated or clad with other precious metal				

71131110	-- Jewellery with filigree work	Free	Restricted	-	-
71131141	--- Other Jewellery: ---- Unstudded	Restricted	Restricted	-	-
71131142	-- Other Jewellery: ---- Studded with pearls	Free	Restricted	-	-
71131143	--- Other Jewellery: ---- Studded with diamonds of heading 7102	Free	Restricted	-	-
71131144	--- Other Jewellery: ---- Studded with diamonds of heading 7104	Restricted	Restricted	-	-
71131145	--- Other Jewellery: ---- Studded with other precious and semiprecious stones	Restricted	Restricted	-	-
71131149	--- Other Jewellery: ---- Other	Restricted	Restricted	-	-
71131190	--- Parts	Free	Restricted	-	-
711319	- Of precious metal whether or not plated or clad with precious metal : -- Of other precious metal, whether or not plated or clad with precious metals				
71131911	-- Of gold: ----Unstudded	Restricted	Restricted	However, import under a valid INDIA-UAE CEPA TRQ shall be permitted freely without any import license	However, import under a valid INDIA-UAE CEPA TRQ shall be permitted without any import license.
71131912	--- Of gold: ----Studded with pearls	Restricted	Restricted	However, import under a valid INDIA-UAE CEPA TRQ shall be permitted without any import license	However, import under a valid INDIA-UAE CEPA TRQ shall be permitted without any import license.
71131913	-- Of gold: ----Studded with diamonds of heading 7102	Restricted	Restricted	However, import under a valid INDIA-UAE CEPA TRQ shall be permitted without any import license	However, import under a valid INDIA-UAE CEPA TRQ shall be permitted without any import license.
71131914	--- Of gold: ----Studded with diamonds of heading 7104	Restricted	Restricted	However, import under a valid INDIA-UAE CEPA TRQ shall be permitted without any import license	However, import under a valid INDIA-UAE CEPA TRQ shall be permitted without any import license.
71131915	--- Of gold :----Studded with other precious and semi-precious stones	Restricted	Restricted	However, import under a valid INDIA-UAE CEPA TRQ shall be permitted without any import	However, import under a valid INDIA-UAE CEPA TRQ shall be permitted without any import license.

				license	
71131919	--- Of gold :----Other	Restricted	Restricted	-	-
71131921	--- Of platinum :---- Unstudded	Restricted	Restricted	-	-
71131922	--- Of platinum :----Studded with pearls	Free	Restricted	-	-
71131923	--- Of platinum :----Studded with diamond of heading 7102	Free	Restricted	-	-
71131924	--- Of platinum :----Studded with diamond of heading 7104	Free	Restricted	-	-
71131925	--- Of platinum :----Studded with other precious and semiprecious stones	Free	Restricted	-	-
71131929	-- Of platinum :----Other	Free	Restricted	-	-
71131960	--- Parts	Restricted	Restricted	-	-
71131990	--- Other	Free	Restricted	-	-
71132000	- Of base metal clad with precious metal	Free	Restricted	-	-

2. Notwithstanding anything contained in Para 1.05(b) of the Foreign Trade Policy, 2023, (FTP) or any other provision, **the benefit of transitional arrangements shall not apply to the restrictions imposed under this Notification.**

3. The import policy as amended above shall come into force with immediate effect and shall apply **irrespective of any prior contract, irrevocable letter of credit, advance payment, or shipment status.**

4. However, imports by 100% Export Oriented Units and units located in Special Economic Zones (SEZs) shall not be subject to the above restrictions as per Para 6.01(d) of FTP, 2023 and under Rule 27 of the Special Economic Zones (SEZ) Rules, 2006 respectively, provided such imported goods are not sold into the Domestic Tariff Area (DTAs). Further, imports under the schemes for export of Gems and Jewellery under Chapter-4 of FTP, 2023 shall also be exempt from these restrictions.

Effect of the Notification: The Import Policy of items under CTH 7113 is revised from “Free” to “Restricted” with immediate effect. These restrictions shall apply notwithstanding Para 1.05(b) of FTP 2023 and shall operate irrespective of any prior contract, irrevocable letter of credit, advance payment, shipment status, or any other commitment whatsoever. Accordingly, the benefit of transitional arrangements shall not be available. However, the restrictions will not apply to the categories of imports mentioned at Para 4 of the Notification.

This is issued with the approval of the Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/36/AM-11/PC-2[A]/E-1678]

Lav Agarwal, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.